डॉ. केवलानन्द काण्डपाल
kandpal_kn@rediffmail.com

नई शिक्षा नीति 2019 का प्रस्तावित ड्राफ्ट: स्कूल कॉम्प्लेक्स

एक स्कूल से आशय एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान से है, जिसकी स्थापना शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु सीखने का स्थान एवं वातावरण उपलब्ध कराने के लिए की गयी है।[1] अंग्रेजी शब्द 'कॉम्प्लेक्स' का निकटतम अर्थ हिन्दी में 'सम्मिश्र' ठहरता है। यह एक विशेषण है, जिसको किसी तथ्य, अवधारणा या विषय के जटिल मिश्रण के लिए व्यवहृत किया जाता है। यही अर्थ हमारे इस आलेख के संदर्भ हेतु आगे उपयोग में लिया गया है। 'स्कूल कॉम्प्लेक्स' का अर्थ है कि एक ऐसा सृजित ढांचा जिसमें एक क्षेत्र विशेष के स्कूल एक प्रशासकीय एवं अकादमिक नियंत्रण में हों।[2] इसके लिए सबसे मजबूत दो तर्क दिए जाते हैं, पहला-इससे स्कूलों/विद्यालयों का एकाकीपन (आइसोलेशन) दूर होगा और दूसरा-इससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

स्कूल कॉम्प्लेक्स के विचार के ऐतिहासिक संदर्भ की जांच-पड़ताल करने पर ज्ञात होता है कि अंग्रेज पादरी जॉन कॉटन ने वर्ष 1635 में स्कूल कॉम्प्लेक्स के विचार को लागू करने की कोशिश की। उन्होंने बोस्टन, इंग्लैण्ड में फ्री ग्रामर स्कूल को स्कूल कॉम्प्लेक्स के रुप में विकसित करनें का प्रयास किया, इस विद्यालय में लैटिन एवं यूनानी भाषा पढ़ायी जाती थी। यह स्कूल सार्वजनिक फंड से चलता था और इसकी शुरुआती कक्षाऐं स्कूल के अध्यापक फिलमॉन पोरमार्ट (Philemon Pormort) के आवासीय परिसर में आरम्भ हुई। स्कूल कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था अपनाने के कुछ लाभ गिनाए जाते हैं, जैसे-इससे माध्यमिक एवं प्रारम्भिक विद्यालयों की लिंकिंग होगी तथा विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त एकाकीपन (isolation) की स्थितियां दूर होंगी, नई पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं शिक्षण सहायक सामग्रियों को ट्राई आउट करने एवं मूल्यांकन के मौके स्कूल कॉम्प्लेक्स को मिल सकेंगे, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय एवं शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रारम्भिक विद्यालयों को सुविधाएं मिल सकेंगी, मूल्यांकन की बेहतर पद्धतियां विकसित कर सकेंगे और लागू कर सकेंगे, अकादमिक स्वायत्तता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं इसको लागू करने में सामने आने वाली कतिपय चुनौतियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है, मसलन-स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए आधारभूत भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना, स्कूल कॉम्प्लेक्स के मुखिया का अभिमुखीकरण इस प्रकार से करना कि वे स्कूल कॉम्प्लेक्स के मुखिया के रुप में कॉम्प्लेक्स के सभी विद्यालयों को बेहतर अकादमिक नेतृत्व दे सकें।

भारतीय संदर्भ में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66), जिसे हम कोठारी आयोग के प्रचलित नाम से अधिक जानते हैं, के द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स के विचार को लागू करने का सुझाव दिया गया और इस तरह से इसे शैक्षिक विमर्श के केन्द्र में ला दिया। इसके बाद वर्श 1986 की नई शिक्षा नीति और कार्य योजना 1992 के दस्तावेज में इस विचार को नकारा नहीं गया परन्तु इसके व्यवहारिक धरातल पर क्रियान्वयन के लिए कुछ किया नहीं गया, यह तथ्य भी वास्तविकत है। अब जबकि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2019 ने अपने प्रस्तावित ड्राफ्ट में स्कूल कॉम्प्लेक्स के विचार को लागू करने का प्रस्ताव किया है और यह प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है कि इसे कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत विचार एवं भावनाओं के अनुरुप लागू किया जाएगा। अतः यह जानना बहुत जरुरी हो जाता है कि इस बारे में कोठारी आयोग की अनुशंसा में क्या-कुछ कहा गया है। वर्ष 1966 में लगभग 692 पृष्ठों में प्रकाशित कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में पृष्ठ संख्या 263-264 में स्कूल कॉम्प्लेक्स के विचार को लागू करने के उद्देश्य, इसकी प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। इस प्रतिवेदन में स्कूल कॉम्प्लेक्स के विचार को लागू करने के दो प्रमुख उद्देश्य बतलाए गये -

पहला: विद्यालयों के एकाकीपन (isolation) को दूर करना तथा उनको छोटे एवं रुबरु (Face to Face), सहयोगी समूह में काम करने में मदद करना।

दूसरा: विभाग से विद्यालय कॉम्प्लेक्स को यथासंभव सत्ता/अधिकारिता (authority) का प्रतिनिधायन (delegation) संभव बनाना। इसके लिए कहा गया ''जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यतः स्कूल कॉम्प्लेक्स के संपर्क में रहेंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स्स, वे सभी डेलीगेटेड टास्क करेंगे जो अन्यथा विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा किए जाते रहे हैं। इससे विद्यालय अधिकाधिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था अधिक लचीली एवं गतिशील हो सकेगी।''[3]

स्कूल कॉम्प्लेक्स किस तरह से काम करेंगे? इसके बारे में कोठारी आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।[4] इनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत रेखांकित किए जा सकते हैं, जो वर्तमान संदर्भों में भी उपयोगी हैं।

- स्कूल कॉम्प्लेक्स मूल्यांकन की बेहतर पद्धतियों को लागू कर सकेंगे तथा विद्यालय में बच्चों की अगली कक्षाओं में कक्षोन्नति की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेंगे।
- कुछ सुविधाएं एवं उपकरण जो प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराना संभव नहीं है, इनको संयुक्त रुप से स्कूल कॉम्प्लेक्स के केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय, पुस्तकालय को मेन्टेन करेगें तथा पड़ोस के विद्यालयों में इसको सरकुलेट करेगें। स्पेशल टीचर की सुविधाओं को भी पड़ोस के विद्यालयों से शेयर किया जाएगा।
- प्राथमिक विद्यालयों में कला एवं व्यायाम शिक्षक नियुक्त नहीं होते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में इनकी नियुक्ति होती है। अतः इन अध्यापकों की सेवाऐं पड़ोस के सभी विद्यालयों को मिल सकें, इसके लिए सावधानी से इस प्रकार से नियोजन करने की ज़रुरत होगी कि वे अपने मूल विद्यालय के बच्चों को प्रयाप्त समय दे सकें।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स की केन्द्रीयकृत प्रयोगशालाओं में निकटवर्ती पड़ोस के विद्यालय अवकाश अवधि में विज्ञान विषय सीख सकते हैं। इसके लिए संबंधित अध्यापक को प्रोत्साहन स्वरुप कुछ धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। व्यय की यह राशि बहुत बड़ी नहीं होगी और इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स की एक अहम जिम्मेदारी काम्प्लेक्स के सभी शिक्षकों की सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी जरुरतों को संबोधित करना होगा। कॉम्प्लेक्स के पुस्तकालय की पुस्तकों का अध्यापकों के बीच सरकुलेशन करवाना, निश्चित अन्तराल (माह में कम से कम एक बार) शिक्षकों की बैठक आयोजित करना, प्रदर्शन पाठ (Demonstration Lesson) का प्रस्तुतिकरण, शिक्षकों की क्षमता संवर्द्धन के लिए अवकाश अवधि में छोटे-छोटे प्रोफ़ेशनल कोर्स आयोजित करना आदि इनकी जिम्मेदारियों में शामिल होंगे।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स के सभी विद्यालय अपने-अपने विद्यालयों के लिए शिक्षा सत्र के लिए अकादमिक योजना बनायेंगे। इससे पहले कॉम्प्लेक्स के विद्यालयों के सभी प्रधान आपस में मिलकर इस योजना के सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा करके आम सहमति बना लेंगे।
- देश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का आकार बहुत छोटा है, जिससे विद्यालयों में लीव टीचर (Leave Teacher) की व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के अवकाश पर चले जाने पर ऐसे शिक्षक के स्थान पर स्थानापन्न शिक्षक की व्यवस्था कर पाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। विशेषकर, एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था करना चुनौती बन जाती है। इन विद्यालयों के शिक्षकों के छुट्टी पर चले जाने से प्रायः विद्यालय बंद हो जाते हैं। (वर्तमान में निकटवर्ती विद्यालय से शिक्षक की व्यवस्था, ऐसा न हो पाने पर आगनवाड़ी कार्यकत्री या फिर भोजनमाता से *विद्यालय खोलने की व्यवस्था* की जाती है।) आयोग का विचार था कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय में रिज़र्व टीचर की उपलब्धता होने पर, इस प्रकार की स्थितियों में इन शिक्षकों को आवश्यकतानुसार ऐसे विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए भेजा जा सकता है।[5]
- चयनित स्कूल कॉम्प्लेक्स को नई पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं शिक्षण उपकरणों को ट्राई आउट (try out) करने एवं मूल्यांकन करने के लिए चिन्हित किया जा सकता है। इसी प्रकार से चयनित स्कूल कॉम्प्लेक्स को निर्धारित सीमा में विषय एवं विषय की पाठ्यचर्या को परिष्कृत (modify) करने की अधिकारिता दी जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ये कॉम्प्लेक्स पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या को परिश्कृत कर सकते हैं।

प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारुप (ड्राफ्ट) में पृष्ठ 217 से पृष्ठ 243 तक अध्याय 7 के अन्तर्गत स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस और कुशल संसाधन उपलब्धता शीर्शक के अन्तर्गत बिन्दु 7.1 से लेकर बिन्दु 7.7 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी है। जैसे-छोटे स्कूलों का अलगाव समाप्त करना, स्कूलों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों के लिए बेहतर सहयोग, स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रशासन एवं प्रबन्धन, इसके माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस तथा स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक विद्यालय का प्रभावी गवर्नेंस एवं प्रबन्धन। यहां पर उल्लेख करना समीचीन होगा कि कोठारी आयोग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव' विद्यालय कॉम्प्लेक्स को यथासंभव सत्ता/अधिकारिता (authority) का प्रतिनिधायन' का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

स्कूल काम्प्लेक्स स्थपना के उद्देश्य- इस ड्राफ्ट में स्कूल कॉम्प्लेक्स के उद्देश्यों के बारे में कहा गया है ''स्कूलों के समूहों को स्कूल कॉम्प्लेक्स का रुप दिया जाना, जिससे संसाधनों का साझा उपयोग सुगम बने और स्थानीय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित हो।''[6]

ड्राफ्ट में देश के प्रारम्भिक विद्यालयों की वस्तु स्थिति को स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि ''देश के 28 प्रतिशत सरकारी प्रथमिक विद्यालयों एवं 14.8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30 से भी कम बच्चे नामांकित हैं। देश के 1,19,303 सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं, इनमें से 94,028 सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि हर बसाहट के एक किमी0 के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध होने के सिद्धान्त ने स्कूल तक पहुंच को सुनिश्चित किया परन्तु इसने दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों एवं चुनौतियों को भी जन्म दिया। मुख्य रुप से तीन गंभीर किस्म की चुनौतियों की चर्चा की गयी है।

प्रथम: बहुत कम संख्या वाले स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, अच्छे स्कूलों को चलाने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, उतना छोटे स्कूलों के लिए संभव नहीं होता। उल्लेखनीय है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत राज्य की जवाबदेही के बरअक्स विद्यालयों की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रस्तुत करने की कोशिश एवं मंशा इसमें महसूस की जा सकती है।

द्वितीय: स्कूलों की बड़ी संख्या, स्कूलों का भौगोलिक फैलाव और वहां पहुंच पाने में आने वाली चुनौतियां। किसी भी प्रयास का सभी स्कूलों में समान रुप से पहुंच पाना कठिन है परन्तु यहीं पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत जैसे विशाल देश में स्कूलों की बड़ी संख्या और इनका बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलाव, एक जरुरी वास्तविकता है और यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का द्योतक है। स्कूलों तक पहुंच बनाने में आने वाली चुनौतियां एक प्रशासकीय पहलू है। क्यों न विद्यालयों को इतना सक्षम, समर्थ, जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाया जाए कि प्रशासकीय निरीक्षण एवं नियंत्रण की आवश्यकता न्यूनतम रह जाए।

तृतीय: कम शिक्षक एवं कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त न होना। ड्राफ्ट इसके लिए तर्क देता है कि सीखने के उचित माहौल के लिए समान उम्र के कम से कम 15 छात्रों के समूह की आवश्यकता होती है। छोटे स्कूल की वजह से शिक्षक अलग-थलग पड़ जाते हैं, उनका पेशेवराना विकास बाधित होता है।[7] कम से कम 15 छात्रों के समूह की आवश्यकता के तर्क का आधार शिक्षणशास्त्रीय होने के बजाय विद्यालय की आर्थिक व्यवहार्यता की ओर झुका हुआ नज़र आता है। शिक्षक समूह में ज्यादा बेहतर एवं प्रभावी ढ़ंग से काम करते हैं। शिक्षक के अलग-थलग पड़ जाने का तर्क फिर भी ग्रहणीय है, इसमें भी विद्यालय का एकल शिक्षक तो स्कूल कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद भी क्या अलग-थलग नहीं रह जाएगा? प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम दो शिक्षकों की व्यवस्था करने की ज़रुरत है, चाहे विद्यालय में छात्र संख्या 30 से कम ही क्यों न हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस बारे में स्पष्ट निर्देश भी देता है।

स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लक्ष्य: ड्राफ्ट में स्कूल काम्प्लेक्स के लक्ष्यों को निम्नवत रेखांकित किया गया है[8] -

- स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को परस्पर सहयोग उपलब्ध कराना, जिससे उनका अलगाव समाप्त हो।
- शिक्षक, संस्था प्रधान और सहयोगी स्टाफ के जीवन्त समूहों का विकास करना।
- स्थानीय स्तर के सभी बच्चों की आरम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा को एक सूत्र में बांधना।
- पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और उपकरण, कम्प्यूटर लैब, खेल सुविधाओं आदि संसाधनों का साझा उपयोग करना।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा छोटे स्कूलों का अलगाव समाप्त करना।

स्कूल काम्प्लेक्स की स्थापना के लक्ष्यों के संदर्भ में विशेश रुप से उल्लेखनीय है कि कोठारी आयोग की अनुशंसा के अनुरुप, इसके लक्ष्यों के दायरे के अन्तर्गत विद्यालयों को स्वायत्तता, अकादमिक अनुश्रवण, काम्प्लेक्स के शिक्षकों का पेशेवर विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की गयी है।

प्रक्रिया: ड्राफ्ट में स्कूल कॉम्प्लेक्स के गठन की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों को एक साथ लाकर एक संस्थानिक और प्रशासनिक ईकाई का गठन किया जायेगा। इसमें भौतिक रुप से स्कूलों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा और प्रशासनिक रुप से स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग होने के बावजूद हरेक स्कूल का अलग संचालन जारी रहेगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के शैक्षिक प्रशासन की बुनियादी ईकाई होगा और इस रुप में ही उसका विकास किया जायेगा। 'स्कूल काम्प्लेक्स राज्य सरकार के हर स्तर पर प्रशासकों को ज्यादा प्रभावी रुप से कार्य करने में मददगार होगा क्योंकि स्कूल काम्प्लेक्स को एक ईकाई माना जाएगा।'[9] ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के गठन का अहम मकसद विद्यालयों में प्रशासन की लगाम को अधिक से अधिक मज़बूत बनाना है। वर्तमान में विद्यालयों की समस्या प्रशासनिक नियंत्रण कम होने की नहीं है वरन् यह तो पहले से ही बहुतायत में है। मुख्य ज़रुरत है विद्यालयों को अधिकाधिक अकादमिक अनुसमर्थन देने की। स्कूल कॉम्प्लेक्स एवं इसके विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन देने की जवाबदेही किसकी होगी? इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? इस बारे में ड्राफ्ट कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं देता और न ही इस बारे में कोई संकेत करता है।

स्कूल कॉम्प्लेक्स की संरचना: स्कूल काम्प्लेक्स में एक माध्यमिक स्कूल (कक्षा 9 से कक्षा 12 तक) तथा उसके पड़ोस में स्थित पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल होंगे। सभी स्कूलों का चयन उनकी एक दूसरे से नज़दीकी के आधार पर किया जायेगा, जिससे तार्किक रुप से उचित भौगोलिक समूह बने। यदि किसी कारणवश एक कॉम्प्लेक्स में कोई भी माध्यमिक स्कूल नहीं हो, जहां कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण होता है तो किसी भी स्कूल में इन कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकारों से अपेक्षा की गयी है कि वर्ष 2023 तक स्कूलों के स्कूल काम्प्लेक्स के रुप में गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रधान माध्यमिक स्कूल का प्रधानाचार्य होगा। उसे प्रशासनिक, वित्तीय और अकादमिक अधिकार होंगे। जिसके निर्देशन में कॉम्प्लेक्स के दूसरे स्कूलों के मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य काम करेंगे। वे मिलकर एक टीम गठित करेंगे जो कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक स्कूल में गुणवत्ता में सुधार के लिए ज़िम्मेदार होंगे तथा विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट को कम करने के लिए जवाबदेह होंगे। यहां पर उल्लेख करना समीचीन होगा कि देश के सभी स्कूलों के स्कूल कॉम्प्लेक्स के रुप में गठन से पहले पाईलट रुप में पहले देश के प्रत्येक ज़िले में एक

स्कूल कॉम्प्लेक्स का गठन किया जाए। इससे प्राप्त अनुभवों एवं इन स्कूल काम्प्लेक्सों के प्रधानों और एक कॉम्प्लेक्स के सभी विद्यालयों के प्रमुखों से प्राप्त फ़ीडबैक के आधार पर कार्ययोजना को परिमार्जित (improvised) करके पूरे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए ड्राफ्ट में वर्ष 2023 तक की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है। इससे, देश के सरकारी विद्यालयों की कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव की अपेक्षा की गयी है। अतः इसको लागू करने से पूर्व सकारात्मक फ़ीडबैक एवं पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होगी।

स्कूल कॉम्प्लेक्स के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक प्रस्तावः ड्राफ्ट में स्कूल काम्प्लेक्स गठन एवं प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक उम्मीद बंधाने वाले प्रस्ताव भी हैं, जिनकी चर्चा करना भी समान रुप से जरुरी है। इनमें से निम्नांकित उल्लेखनीय हैं-

- देश में ऐसे बहुत कम स्कूल हैं, जहां सहायक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के काम चाहे मध्यान्ह भोजन हो या स्कूल के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना, शिक्षकों को ही करने पड़ते हैं। निदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को प्रर्याप्त संख्या में सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराए जायेंगे, जिससे स्कूल कॉम्प्लेक्स सुचारु रुप से कार्य कर सकें। ये कर्मचारी लेखा कार्य, सामान्य प्रशासन जैसे कामों और आधारभूत सुविधाओं की स्वच्छता एवं रख-रखाव के लिए भी होंगे।[10]
- स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक विद्यालय के मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य स्कूल के कार्यकारी प्रधान होंगे और उन पर स्कूल के समस्त अकादमिक एवं प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी होगी। ये शैक्षणिक परिणामों के लिए और स्कूल संचालन की शुचिता बनाए रखने के लिए एस.एम.सी. के प्रति जवाबदेह होंगे। स्कूल नेतृत्व का चयन उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और यह चयन वरिष्ठता के आधार पर न होकर काबिलियत के आधार पर होगा।[11]
- स्कूल कॉम्प्लेक्स सहकर्मियों के परस्पर सहभागिता से सीखने वाले समूहों के लिए ज़रुरी व्यवस्थाऐं बनाएगा, जैसे- शिक्षकों की साप्ताहिक बैठकें, शिक्षक अधिगम केन्द्र (Teacher Learning Center) आदि। शिक्षकों के सतत् व्यावसायिक विकास (Continuing Professional Development) के लिए दूसरे माध्यम भी उपलब्ध कराए जायेंगे, जैसे-सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा-शिक्षण के दौरान परामर्श।[12]
- लोगों के हांथ में अधिकार देना वह सीधा रास्ता है, जिससे स्थानीय समस्याओं को प्रभावी ढ़ंग से दूर किया जा सकता है।[13] फिर भी स्कूल गवर्नेंस के कार्य में एस.एम.सी. द्वारा अपेक्षित सक्रिय भागीदारी की स्थिति अभी वास्तविकता नहीं बन पाई है। ड्राफ्ट में यह स्वीकार करने का साहस किया गया है कि माता-पिता में जागरुकता की कमी, दैनिक मज़दूरी पर आश्रित माता-पिता का एस.एम.सी. की बैठकों में भाग लेने में असमर्थता, महिलाओं की भागीदारी न हो पाना प्रमुख कारण हैं। अक्सर एस.एम.सी. की बैठकें आयोजित नहीं होती, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ होती हैं और इसका स्कूल के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पिछले दो दशकों में सामाजिक-आार्थिक रुप से मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ले गए हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों में वही लोग बचे हैं, जो बहुत कम राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव रखते हैं। ड्राफ्ट में प्रस्तावित किया गया है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी (School Complex Management Committee) गठित की जाएगी। इस प्रकार के स्कूलों में सामुदायिक सहभागिता वाला मॉडल स्कूल कॉम्प्लेक्स में भी लागू किया जायेगा। इसके गठन का आधार अपेक्षाकृत व्यापक होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स के सभी विद्यालयों एवं उनके सेवित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। यह स्कूलों में नियमित उपस्थिति, स्कूल में बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल के संसाधनों का सदुपयोग एवं ईमानदारी जैसे मामलों पर नजर रखेंगी। शिक्षकों/विद्यालय प्रमुखों के आचार व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन करेगी। यह एक अच्छी पहल साबित हो सकती है, बशर्ते कि एस.सी.एम.सी. का इस बारे में प्रयाप्त अभिमुखीकरण एवं क्षमता संवर्द्धन किया जाए। इसके अभाव में राजनीतिक हितसाधन का माध्यम बनने का जोखिम इसमें निहित है।
- डिस्ट्रिक्ट ऐजुकेशन कमेटी/जिला शिक्षा परिषद, एस.एम.सी. एवं एस.सी.एम.सी. के संचालन एवं सशक्तीकरण के कार्य में मदद करेगी। यह दूसरे विभागों जैसे-महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वयन को संभव बनाएगी। इसके द्वारा की गयी समीक्षाओं का उपयोग स्कूली शिक्षा में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सलाहकारों, स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स आदि के अच्छे प्रयासों और योगदान की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भी किया जायेगा।[14] इससे स्कूल के प्रति विभागों की क्रियाशीलता में वृद्धि होगी तथा नवाचारी प्रयासो को समर्थन एवं मान्यता भी मिल सकेगी परन्तु स्कूल की अकादमिक स्वायत्तता को प्रशासनिक दख़लन्दाजी प्रतिकूल रुप से प्रभावित न करने पाए, इस बारे में सावधानीपूर्वक दिशा-निर्देश तैयार करने की ज़रुरत है।
- डाफ्ट में स्कूल कॉम्प्लेक्स में सलाहकार/परामर्शदाता की व्यवस्था करने की बात कही गयी है। ये छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु परामर्श देंगे। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में परस्पर समन्वय की बात कही गयी है। साथ

ही कहा गया है कि कुछ शिक्षकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। वर्तमान में स्कूलों में बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण ही बड़ी चुनौती है। विशेशज्ञ सलाहकार के बजाय शिक्षकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं को फ़ौरी प्रशिक्षण देकर जिम्मेदारी देने से यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना सफल हो पाएगी? यह एक गंभीर एवं चिन्तनीय प्रश्न है।

उपरोक्त सकारात्मक प्रस्तावों के बावजूद ड्राफ्ट में स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में प्रस्तुत प्रस्तावों से अकादमिक शंका/संदेह भी सृजित होते हैं। चूंकि अभी ये विचार ड्राफ्ट की शक्ल में हैं और सुझावों की अपेक्षा भी है। इसलिए, इनको लिपिबद्ध कर लेना समाचीन होगा। इसमें से कुछ प्रमुख निम्नवत रेखांकित की जा सकती हैं-

- स्कूलों को समूहों में गठित करने के कार्य में ऐसे स्कूलों की समीक्षा और समेकन किया जाएगा जिनका बहुत कम नामांकन है, उदाहरण के लिए 20 से कम होने की वजह से स्वतंत्र ईकाई के रुप में अस्तित्व व्यावहारिक नहीं है।[15] सरकारी विद्यालयों में कम नामांकन के मूल कारणों पर प्रहार करने के बजाए परिणाम आधारित निर्णय दूर दराज के कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने की योजना को बल देता है। यह बच्चो के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को बाधित करने वाला प्रस्ताव प्रतीत होता है।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स को इस तरह से गठित किया जाएगा कि उनमें शिक्षकों की संख्या 80 से 100 तक होगी जिससे शिक्षकों का एक सशक्त समुदाय बन सके।[16] देश के बहुत बड़े भू-भाग की भौगोलिक स्थितियां इस तरह की हैं कि स्कूलों का दूर-दूर तक छितराव है, उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य के संदर्भ में यह एक वास्तविकता है। 80 से 100 तक शिक्षकों के मानक को लागू करने में स्कूल कॉम्प्लेक्स का फैलाव एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र तक हो जाएगा, जिसका कॉम्प्लेक्स से तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह एक तरह से संकुल का स्वरुप ग्रहण कर लेगा। हमारे हालिया अनुभव बताते हैं कि संसाधन एवं जरुरी क्षमता के अभाव में संकुल व्यवस्था बहुत कामयाब साबित नहीं हो पाई और सूचनाओं के आदान-प्रदान की ऐजेन्सी मात्र बनकर रह गयी। स्कूल कॉम्प्लेक्स, संकुल व्यवस्था से किस प्रकार से अलग होंगे, इसकी स्पष्टता आवश्यक है।
- राज्य भौगोलिक आधार पर सी.आर.सी. को स्कूल कॉम्प्लेक्स का ही अंग बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि सी.आर.सी. के संसाधन भी स्कूल कॉम्प्लेक्स को उपलब्ध होंगे।[17] सी.आर.सी. के पास संसाधन ही कितने हैं? और स्कूल कॉम्प्लेक्स एवं सी.आर.सी. के कार्य दायित्व एवं भूमिका द्वन्द्व को किस प्रकार से संबोधित किया जाएगा, इसका ख़ुलासा ड्राफ्ट में नहीं किया गया है।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स की शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा की गयी परिभाशा जो मूल रुप से छोटे स्कूलों के अलगाव ख़त्म करने और शैक्षिक उपलब्धियों को बेहतर करने पर केन्द्रित थी, को वर्तमान संदर्भ में विस्तृत अर्थ दिया जाएगा।[18] यह विस्तृत अर्थ किस प्रकार दिया जाएगा, इसका ड्राफ्ट में कहीं स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। इससे संदेह पैदा होता है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में कोठारी आयोग द्वारा दिय गये विचार को डाईल्यूट (dilute) करके इसका उपयोग आर्थिक रुप से अव्यवहार्य बताए गए कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के लिए तो नहीं किया जाएगा।
- स्कूल कॉम्प्लेक्स में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को चिन्हित किया गया है। उनसे अपेक्षा की गयी है कि वे ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों में वापस लाने के लिए काम करेंगे। विशेश आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उनका ध्यान रखने में शिक्षकों की मदद करेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए संस्था/अधिकारी चिन्हित किये गये हैं। दूसरा विशेश आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं ध्यान रखने के लिए विशेशज्ञता की जरुरत होती है। इसके साथ किसी भी प्रकार की समझौतावादी अप्रोच शैक्षिक लक्ष्यों को एक तरह से पराजित करने का काम ही करेगी।
- ड्राफ्ट में कहा गया है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के कक्षा-कक्षों को स्कूल समय के पश्चात एवं अवकाश अवधि में व्यावसायिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।[19] इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? क्या यह भी स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुख की जिम्मेदारियों का हिस्सा होगा? क्या कॉम्प्लेक्स स्कूल सामुदायिक केन्द्र बन जाएंगे? इस बारे में ड्राफ्ट में स्पष्टता का अभाव है। समुदाय की सहभागिता एवं सामुदायिक केन्द्र दोनों में बहुत अन्तर है। जहां पहला विद्यालय के लिए बहुत ज़रुरी है वहीं दूसरा कुछ विशेशीकृत चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इसके बारे में स्पष्टता बहुत ज़रुरी है।
- बी.ई.ओ./डी.ई.ओं. जैसी प्रशासकीय ढ़ांचे की व्यवस्थाऐं और सी.आर.सी./बी.आर.सी./डाइट जैसे अकादमिक सहयोग के संस्थान स्कूलों के एक समूह के लिए सीधे स्कूल कॉम्प्लेक्स से संपर्क और संवाद द्वारा ज्यादा बेहतर और प्रशासनिक सहयोग कर पाएंगे।[20] यहीं पर उल्लेख करना जरुरी है कि यहां पर स्कूल कॉम्प्लेक्स को बीच की कडी के रुप में देखा जा रहा है जबकि वह अलग नहीं है, कॉम्प्लेक्स सभी स्कूलों से मिलकर बनी ईकाई है। यदि इसे पृथक करके देखने की बात की जा रही है तो स्कूल कॉम्प्लेक्स को तो एक तरह से उक्त संस्थाओं से निर्देश एवं अनुसमर्थन मिल रहा होगा और कॉम्प्लेक्स के अन्य स्कूल अलग-

थलग ही रहेंगे।

समेकन: उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का विचार शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। इसके लिए ज़रुरत इस बात की है कि इसको लागू करते समय जमीनी हकीकतों का भी संज्ञान लिया जाए। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि इसको सम्पूर्ण रुप से लागू करने से पूर्व पाईलेट रुप में इसका परीक्षण कर लिया जाए। पाईलेट परीक्षण के अनुभवों एवं फीडबैक के आलोक में ज़रुरी करेक्शन के बाद ही इसे समग्र रुप से लागू किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में प्रभावी बदलाव लाने के लिए किसी भी अच्छे विचार का स्वागत किया ही जाना चाहिए, बशर्ते कि इसमें कोई प्रच्छन्न ऐजेण्डा (hidden agenda) शामिल न हो।

संदर्भ

1. 'A school is an educational institution designed to provide learning spaces and learning environments for the teaching of students (or "pupils") under the direction of teachers.' The Free Encycolopedia. Retrieved from Google Scholar. https://en.wikipedia.org/wiki/School
2. 'The school complex brings the schools of an area together. It will help to break the terrible isolation under which each school functions at present and like with other schools in a particular area for raising the quality of education.' School Complex: Needs and Features: Article shared by Z. Khan, Retrieved from Google http://www.yourarticlelibrary.com/schools/school-complex-needs-and-features/45254
3. Education & National Development, Report of the Education Commission (1964-66), Ministry of Education, Government of India, First edition, 1966, Page 263. Printed in India by The Central Manager, Government of India Press New Delhi, Government of India Press, New Delhi and Published by The Manager of Publication, New Delhi, 1966.
4. इसके विस्तृत पाठ के लिए कोठारी आयोग के प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या 263-264 का गहन अध्ययन उपयोगी होगा। Printed in India by The Central Manager, Government of India Press New Delhi, Government of India Press, New Delhi and Published by The Manager of Publication, New Delhi, 1966.
5. Education & National Development, Report of the Education Commission (1964-66), Ministry of Education, Government of India, First edition, 1966, Page 263 Printed in India by The Central Manager, Government of India Press New Delhi, Government of India Press, New Delhi and Published by The Manager of Publication, New Delhi, 1966.

6-7. प्रारुप शिक्षा नीति 2019, कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 217, 218-219.

8-11. प्रारुप शिक्षा नीति 2019, कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 220, 221, 234, 243.

12-15. प्रारुप शिक्षा नीति 2019, कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 230, 238, 237, 232.

16-19. प्रारुप शिक्षा नीति 2019, कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 227, 231, 227, 226.

20. प्रारुप शिक्षा नीति 2019, कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 232.